

19 Jan - 8/10/15

दिनांक

श्रीमति/श्री, मैसर्स श्री. हरि. वि. ल. बेल. प्रा. लि. द्वारा उपरर श्री विजय जिन्दा

17. किरित खन्नेव, मेन जी०पी० सं०
गजिमावा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 28/10/14 के सन्दर्भ में

आपके प्रस्तावित.....^१.....मर्चन की महिला/

कालोनी/ग्राम...दरगज...सुदूर...गारवा...पर

निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है:-

समस्त प्रकार के भवन / स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित / आवश्यक है जो डी०पी०सी० लेबल सिस्टम प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये ।

1. यह मानचित्र स्वीकृत से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे-नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन सशतचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व सिड़कियां इस तरह से लगाये जायेगे कि सड़क की ओर न खुले।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मोक पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 28/10/14 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ० प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 (पच्चीस) पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लाये।
16. 300 वर्ग मीटर या उसके अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटॉप हार्वस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँच समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थपना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय प्राविधिक संस्थाएं प्रशिक्षण केन्द्र सामुदायिक केन्द्र बैंकवेट बैंकवेट हॉल बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करना तथा मानचित्र निर्मित होने से पूर्व अग्नि शमन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
19. आवेदक भू-स्वामी निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी अथवा शमन के समय उक्त मद में प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा किया जाना आवश्यक होगा।
20. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
21. भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-15 (3) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू-स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं हैं।

संलग्नक

1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र

पत्रांक

/एमपी/

दिनांक

प्रतिलिपी

1 प्रवर्तन स्वण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर निर्माणक ०/१
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

शुद्ध नगर नियोजक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण